



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122022-241170
CG-DL-E-17122022-241170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 659]
No. 659]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

फा. सं. IWAI/NW-5/20/2016-17 (भाग).—उप-धारा #(1) के खंड (जी) और उप-धारा (1) के खंड (जी) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) तथा धारा 14 के तहत उप-धारा (2), और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006 और संशोधन 2016 के अधिक्रमण में किए गए कार्यों के संबंध में या इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए जाने से छूटे हुए, प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ —(1) इन विनियमों को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

2. परिभाषाएँ—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(a) 'अधिनियम' का अर्थ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) है;

(b) 'अध्यक्ष' का अर्थ है प्राधिकरण का अध्यक्ष;

- (c) 'अंतर्देशीय जलमार्ग' का अर्थ है कोई नहर, नदी, झील या कोई अन्य नौगम्य जल; और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत विधिवत घोषित।
- (d) शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण—(1) 2000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) तक के स्व-चालित जहाजों के सुरक्षित संचालन और 8000 तक की क्षमता वाली पुश-टो इकाइयों में टग-बार्ज फॉर्मेशन के लिए जलमार्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। टन, अर्थात्:-

(ए) वर्ग I: जलमार्ग नौगम्य चैनल के निम्नलिखित विन्यास के साथ-

- (i) नदियाँ - न्यूनतम 1.2 मीटर गहराई, 30 मीटर नीचे की चौड़ाई, 300 मीटर मोड़ त्रिज्या, 4 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और घाटों के बीच 30 मीटर क्षैतिज निकासी; तथा
- (ii) नहरें - न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई, 20 मीटर नीचे की चौड़ाई, 300 मीटर मोड़ त्रिज्या, 4 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और पियर्स के बीच 20 मीटर क्षैतिज निकासी।

(बी) वर्ग II: जलमार्ग नौगम्य चैनल के निम्नलिखित विन्यास के साथ-

- (i) नदियाँ - न्यूनतम 1.4 मीटर गहराई, 40 मीटर नीचे की चौड़ाई, 500 मीटर मोड़ त्रिज्या, 5 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और घाटों के बीच 40 मीटर क्षैतिज निकासी; तथा
- (ii) नहरें - न्यूनतम 1.8 मीटर गहराई, 30 मीटर नीचे की चौड़ाई, 500 मीटर मोड़ त्रिज्या, 5 मीटर लंबवत निकासी और 30 मीटर क्षैतिज निकासी।

(सी) वर्ग III: जलमार्ग नौगम्य चैनल के निम्नलिखित विन्यास के साथ-

- (i) नदी - न्यूनतम 1.7 मीटर गहराई, 50 मीटर नीचे की चौड़ाई, 700 मीटर मोड़ त्रिज्या, 6 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और घाटों के बीच 50 मीटर क्षैतिज निकासी, और
- (ii) नहरें - न्यूनतम 2.2 मीटर गहराई, 40 मीटर नीचे की चौड़ाई, 700 मीटर मोड़ त्रिज्या, 6 मीटर लंबवत निकासी और 40 मीटर क्षैतिज निकासी।

(डी) चतुर्थ श्रेणी: नौगम्य चैनल के निम्नलिखित विन्यास के साथ जलमार्ग-

- (i) नदी - न्यूनतम 2.0 मीटर गहराई, 50 मीटर नीचे की चौड़ाई, 800 मीटर मोड़ त्रिज्या, 8 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और घाटों के बीच 50 मीटर क्षैतिज निकासी, और
- (ii) नहरें - न्यूनतम 2.5 मीटर गहराई, 50 मीटर नीचे की चौड़ाई, 800 मीटर मोड़ त्रिज्या, 8 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और पियर्स के बीच 50 मीटर क्षैतिज निकासी; तथा

(ई) वर्ग V: जलमार्ग नौगम्य चैनल के निम्नलिखित विन्यास के साथ-

- (i) नदी - केवल नदियों के मामले में न्यूनतम 2.0 मीटर गहराई, 80 मीटर नीचे की चौड़ाई, 800 मीटर मोड़ त्रिज्या, 8 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और घाटों के बीच 80 मीटर क्षैतिज निकासी।

(च) वर्ग VI- जलमार्ग नौगम्य चैनल के निम्नलिखित विन्यास के साथ-

- (i) नदी - न्यूनतम 2.75 मीटर गहराई, 80 मीटर नीचे की चौड़ाई, 900 मीटर मोड़ त्रिज्या, 10 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और घाटों के बीच 80 मीटर क्षैतिज निकासी; तथा
- (ii) नहरें - न्यूनतम 3.5 मीटर गहराई, 60 मीटर नीचे की चौड़ाई, 900 मीटर मोड़ त्रिज्या, 10 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और पियर्स के बीच 60 मीटर क्षैतिज निकासी।

(छ) वर्ग VII- जलमार्ग नौगम्य चैनल के निम्नलिखित विन्यास के साथ-

- (i) नदी - केवल नदियों के मामले में न्यूनतम 2.75 मीटर गहराई, 100 मीटर और नीचे की चौड़ाई, 900 मीटर मोड़ त्रिज्या, 10 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी और घाटों के बीच 100 मीटर क्षैतिज निकासी।

उप विनियम (1) में उल्लिखित सभी वर्गों के जलमार्गों के लिए किसी भी पारेषण प्रयोजन हेतु पावर केबल अथवा टेलीफोन लाइन अथवा केबलों के लिए उर्ध्वाधर निकासी निम्नलिखित होगी-

- (i) टेलीफोन लाइनों सहित निम्न वोल्टेज पारेषण - 16.5 मीटर
- (ii) उच्च वोल्टेज पारेषण लाइन ,जो 110 किलोवोल्ट से अधिक न हो - 19.0 मीटर
- (iii) उच्च वोल्टेज पारेषण लाइन ,जो 110 किलोवोल्ट से अधिक हो - 19.0 मीटर

प्रत्येक अतिरिक्त किलोवोल्ट के लिए + 1 सेंटीमीटर अतिरिक्त

(3) पानी के अन्दर की पाइप लाइन के मामले में , पावर केबल और अन्य केबलों हेतु लागू होने वाले मानक प्राधिकरण द्वारा स्थान की दशा और नौचालन संबंधी अपेक्षा के अनुसार विनिश्चित किये जायेंगे। गहराई संबंधी मापदंड 1.5 मीटर कुशन से अधिक गहराई चैनल विशिष्ट के अनुसार अनुरक्षित की जाएगी, जिसे न्यूनतम जल स्तर पर मापा जाएगा , जैसी भी स्थिति हो।

(4) पानी के ... , बर्थिंग जेट्टी या फ्लोटिंग टर्मिनल के निर्माण के मामले में, प्रस्तावित संरचना स्थिर नौवहन चैनल से कम से कम 100 मीटर की लंबाई के लिए नौवहन चैनल से मुक्त है।

(5) नौवहन लॉक के मामले में, निम्नलिखित मंजूरी अपनाई जाएगी-

वर्ग - III एनडब्ल्यू: 15.0 एम (डब्ल्यू) x 70 एम (एल)

वर्ग - IV और V एनडब्ल्यू : 15.0एम (डब्ल्यू) x 100 एम (एल)

वर्ग - VI एनडब्ल्यू: 18.0 एम (डब्ल्यू) x 120 एम (एल)

वर्ग - VII एनडब्ल्यू: 18.0 M (डब्ल्यू) x 150 एम (एल)

(6) रोपवे, केबलवे, ओवर ग्राउंड कन्वेयर बेल्ट आदि के मामले में, जलमार्ग के सभी वर्ग उप-विनियम 3 (1) में निर्दिष्ट गहराई का पालन करेंगे और ऊर्ध्वाधर निकासी को कैरिज केबिन के सबसे निचले बिंदु को (उच्चतम शिथिलता के बिंदु पर) या कन्वेयर बेल्ट या डिस्चार्ज शूट का निम्नतम बिंदु माना जाएगा।

4. जलमार्गों की चलने की क्षमता- वर्गीकृत जलमार्गों की संचालन क्षमता निम्नानुसार होगी-

(1) वर्ग - I के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित नॉन जलयान के लिए होगा, जिसकी ढुलाई क्षमता लगभग 100 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 32 मीटर कुल लंबाई, 5 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.0 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक

टैग और डॉ बार्ज के मेल से बने 200 टन वेट टनेज (लगभग 80 मीटर कुल लंबाई, मोलडेड चौड़ाई 5 मीटर और 1.0 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(2) वर्ग – II के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित नॉन जलयान के लिए होगा, जिसकी दुलाई क्षमता लगभग 300 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 45 मीटर कुल लंबाई, 8 मीटर मोलडेड चौड़ाई और 1.2 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टैग और डॉ बार्ज के मेल से बने 600 टन वेट टनेज (लगभग 110 मीटर कुल लंबाई, मोलडेड चौड़ाई 8 मीटर और 1.2 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(3) वर्ग – III के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित नॉन जलयान के लिए होगा, जिसकी दुलाई क्षमता लगभग 500 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 58 मीटर कुल लंबाई, 9 मीटर मोलडेड चौड़ाई और 1.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टैग और डॉ बार्ज के मेल से बने 1000 टन वेट टनेज (लगभग 141 मीटर कुल लंबाई, मोलडेड चौड़ाई 9 मीटर और 1.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(4) वर्ग – IV के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित नॉन जलयान के लिए होगा, जिसकी दुलाई क्षमता लगभग 1000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 70 मीटर कुल लंबाई, 12 मीटर मोलडेड चौड़ाई और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टैग और डॉ बार्ज के मेल से बने 2000 टन वेट टनेज (लगभग 170 मीटर कुल लंबाई, मोलडेड चौड़ाई 12 मीटर और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(5) वर्ग – V के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित नॉन जलयान के लिए होगा, जिसकी दुलाई क्षमता लगभग 1000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 70 मीटर कुल लंबाई, 12 मीटर मोलडेड चौड़ाई और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टैग और डॉ बार्ज के मेल से बने 4000 टन वेट टनेज (लगभग 170 मीटर कुल लंबाई, मोलडेड चौड़ाई 24 मीटर और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(6) वर्ग – VI के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित नॉन जलयान के लिए होगा, जिसकी दुलाई क्षमता लगभग 2000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 86 मीटर कुल लंबाई, 14 मीटर मोलडेड चौड़ाई और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टैग और डॉ बार्ज के मेल से बने 4000 टन वेट टनेज (लगभग 210 मीटर कुल लंबाई, मोलडेड चौड़ाई 14 मीटर और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(7) वर्ग – VII के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित नॉन जलयान के लिए होगा, जिसकी दुलाई क्षमता लगभग 2000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 86 मीटर कुल लंबाई, 14 मीटर मोलडेड चौड़ाई और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टैग और डॉ बार्ज के मेल से बने 8000 टन वेट टनेज (लगभग 210 मीटर कुल लंबाई, मोलडेड चौड़ाई 28 मीटर और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

5. अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, -

- (i) चैनल की न्यूनतम गहराई सामान्य रूप से वर्ष के लगभग 330 दिनों के लिए उपलब्ध होगी; तथा
- (ii) जलमार्ग में क्रॉस संरचना पर ऊर्ध्वाधर निकासी कम से कम केंद्र में 75 प्रतिशत पर उपलब्ध हो होगी। जलमार्ग की पूरी चौड़ाई में प्रत्येक विस्तार का हिस्सा।

स्पष्टीकरण - विभिन्न प्रकार के चैनलों में लंबवत निकासी निम्नलिखित द्वारा शासित होती है -

- (i) (क) नदियों के लिए, नौवहन उच्च बाढ़ स्तर (एनएचएफएल) से अधिक, जो पिछले बीस वर्षों की अवधि में, किसी भी वर्ष में पांच प्रतिशत की आवृत्ति पर उच्चतम बाढ़ स्तर है;

(ख) ज्वारीय नहरों के लिए उच्चतम उच्च जल स्तर पर;

(ग) अन्य नहरों के लिए, डिज़ाइन किए गए पूर्ण आपूर्ति स्तर पर।

- (ii) 'यदि ज्वारीय नदियों, मानव निर्मित नहरों, खाड़ियों में लंबी अवधि (5 वर्ष से कम नहीं) के लिए नदी जल रूपात्मक विशेषताओं में पर्याप्त रूप से बदलाव नहीं आया है, तो अपेक्षित नौवहन निकासी केवल उस अवधि में प्रदान की जा सकती है जहां नौवहन चैनल स्थिर रहता है।
- (iii) 'निकटवर्ती मौजूदा अवसंरचना के निकट किसी पुल या संरचना के निर्माण के मामले में, सामान्य तौर पर, मौजूदा संरचना की क्षैतिज संपुष्टि को अपनाया जा सकता है जहां कि मौजूदा संरचना पास की प्रस्तावित संरचना से 100 मीटर की दूरी पर नहीं है। नेविगेशन चैनल पर नए प्रस्तावित पुल या स्ट्रेच की अवधि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) की सलाह पर साइट की आवश्यकता के अनुरूप मानक राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) वर्गीकरण के अनुसार होगी।

6. इन विनियमों के अधीन वर्गीकृत राष्ट्रीय जलमार्गों पर बनने वाली सभी नई संरचनाएं दिए गए जलमार्गों के समुचित वर्ग के अपने अपने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर निकासी के अनुरूप होंगी।

- (i) राष्ट्रीय जलमार्ग में या उसके पार किसी भी संरचना का निर्माण शुरू करने से पहले, संबंधित एजेंसी या संगठन निम्नलिखित लिंक पर आईडब्ल्यूआई पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करके प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त करेगा :https://ntcl.ncog.gov.in/NOC_Structure/login .
- (ii) यदि प्राधिकरण से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, एजेंसी या संगठन संरचना के निर्माण के लिए आगे बढ़ सकता है।

कर्नल हर्षवर्धन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./479/2022-23]

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

New Delhi, the 15th November, 2022

F. No. IWAI/NW-5/20/2016-17 (Part).—In exercise of the powers conferred by section 35 read with clause (g) of sub-section (1) and clause (g) of sub-section (2) of section 14 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985) and in supersession of the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations, 2022

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Definitions.** – In these regulations, unless the context otherwise requires, –

- a. 'Act' means the Inland Waterways Authority of India Act, 1985(82 of 1985);
- b. 'Chairman' means the Chairman of the Authority;
- c. 'Inland Waterways' means any canal, river, lake or any other navigable water duly declared under National Waterways Act, 2016.
- d. words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Classification of Inland Waterways** - (1) The waterways shall be classified in the following categories for safe plying of self-propelled vessels up to 2000 tonnes Dead Weight Tonnage (DWT) and tug-barge formation in push-tow units of carrying capacity up to 8000 tonnes, namely:-

(a) Class I: Waterways with the following configuration of navigable channel-

(i) *Rivers*- Minimum of 1.2 metres depth, 30 metres bottom width, 300 metres bend radius, 4 metres vertical clearance and 30 metres horizontal clearance between piers; and

(ii) *Canals*- Minimum of 1.5 metres depth, 20 metres bottom width, 300 metres bend radius, 4 metres vertical clearance and 20 metres horizontal clearance between piers.

(b) Class II: Waterways with the following configuration of navigable channel-

(i) *Rivers*- Minimum of 1.4 metres depth, 40 metres bottom width, 500 metres bend radius, 5 metres vertical clearance and 40 metres horizontal clearance between piers; and

(ii) *Canals*- Minimum of 1.8 metres depth, 30 metres bottom width, 500 metres bend radius, 5 metres vertical clearance and 30 metres horizontal clearance between piers.

(c) Class III: Waterways with the following configuration of navigable channel-

(i) *River*- Minimum of 1.7 metres depth, 50 metres bottom width, 700 metres bend radius, 6 metres vertical clearance and 50 metres horizontal clearance between piers, and

(ii) *Canals*- Minimum of 2.2 metres depth, 40 metres bottom width, 700 metres bend radius, 6 metres vertical clearance and 40 metres horizontal clearance between piers.

(d) Class IV: Waterways with the following configuration of navigable channel-

(i) *River*- Minimum of 2.0 metres depth, 50 metres bottom width, 800 metres bend radius, 8 metres vertical clearance and 50 metres horizontal clearance between piers, and

(ii) *Canals*- Minimum of 2.5 metres depth, 50 metres bottom width, 800 metres bend radius, 8 metres vertical clearance and 50 metres horizontal clearance between piers; and

(e) Class V: Waterways with the following configuration of navigable channel-

(i) *River*- Minimum of 2.0 metres depth, 80 metres bottom width, 800 metres bend radius, 8metre vertical clearance and 80 metres horizontal clearance between piers in case of rivers only.

(f) Class VI: Waterways with the following configuration of navigable channel-

(i) *River*- Minimum of 2.75 metres depth, 80 metres bottom width, 900 metres bend radius, 10 metres vertical clearance and 80 metres horizontal clearance between piers; and

(ii) *Canals*- Minimum of 3.5 metres depth, 60 metres bottom width, 900 metres bend radius, 10 metres vertical clearance and 60 metres horizontal clearance between piers.

(g) Class VII: Waterways with the following configuration of navigable channel-

(i) *River*- Minimum of 2.75 metres depth, 100 metres and above bottom width, 900 metres bend radius, 10 metres vertical clearance and 100 metres horizontal clearance between piers in case of rivers only.

(2) Vertical clearance for power cables or telephone lines or cables for any transmission purpose for all the classes of waterways specified in sub-regulation (1) shall be as follows-

- i. Low voltage transmission lines including telephone lines – 16.5 metres;
- ii. High voltage transmission lines, not exceeding 110 kilovolts- 19.0 metres;
- iii. High voltage transmission lines, exceeding 110 kilovolts – 19.0 metres.
+ 1 centimetre extra for each additional kilovolt

(3) In case of underwater pipelines, power cables and other cables crossing a national waterway, norms to be followed shall be decided by the Authority as per the site conditions and navigational requirement. The criterion for depth shall be 1.5 meter cushion plus maintained depth of channel specified in sub-regulation (1) to be measured below the Lowest low water level or lowest tide level, as the case may be.

(4) In the case of construction of water intake, berthing jetty or floating terminal, the proposed structure is free from navigation channel at-least for a length of 100 meter from the stable navigation channel.

(5) In the case of navigation locks, the following clearances shall be adopted-

Class- III NW	:	15.0 M (W)	x	70 M (L)
Class-IV and V NW	:	15.0 M (W)	x	100 M (L)
Class- VI NW	:	18.0 M (W)	x	120 M (L)
Class- VII NW	:	18.0 M (W)	x	150 M (L)

(6) In case of ropeways, cableways, over ground conveyor belts etc., all classes of waterways shall follow the depth specified in sub-regulation 3 (1) and the vertical clearance shall be considered at the lowest point of carriage cabin (at the point of highest sag) or lowest point of conveyor belt or discharge chutes.

4. **Plying Capacity of Waterways-** The plying capacity of classified waterways shall be as under-

- (i) Class I waterway shall be used for plying self-propelled vessel of carrying capacity upto 100 tonnes Dead Weight Tonnage (approximate size 32 metres overall length, 5 metres moulded breadth and 1.0 metres loaded draft) or one tug and two barges combination of 200 tonnes Dead Weight Tonnage (approximate size 80 metres overall length, 5 metres moulded breadth and 1.0 metres loaded draft).

- (ii) Class II waterway shall be used for plying self-propelled vessel of carrying capacity upto 300 tonnes Dead Weight Tonnage (approximate size 45 metres overall length, 8 metres moulded breadth and 1.2 metres loaded draft) or one tug and two barges combination of 600 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 110 metres overall length, 8 metres moulded breadth and 1.2 metres loaded draft).
- (iii) Class III waterway shall be used for plying self-propelled vessel of carrying capacity upto 500 tonnes Dead Weight Tonnage (approximate size 58 metres overall length, 9 metres moulded breadth and 1.5 metres loaded draft) or one tug and two barges combination of 1000 tonnes Dead Weight Tonnage (approximate size 141 metres overall length, 9 metres moulded breadth and 1.5 metres loaded draft).
- (iv) Class IV waterway shall be used for plying self-propelled vessel of carrying capacity upto 1000 tonnes Dead Weight Tonnage (approximate size 70 metres overall length, 12 metres moulded breadth and 1.8 metres loaded draft) or one tug and two barges combination of 2000 tonnes Dead Weight Tonnage (approximate size 170 metres overall length, 12 metres moulded breadth and 1.8 metres loaded draft).
- (v) Class V waterway shall be used for plying self-propelled vessel of carrying capacity upto 1000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 70 metres overall length, 12 metres moulded breadth and 1.8 metres loaded draft) or one tug and four barges combination of 4000 tonnes Dead Weight Tonnage (approximate size 170 metres overall length, 24 metres moulded breadth and 1.8 metres loaded draft).
- (vi) Class VI waterway shall be used for plying self-propelled vessel of carrying capacity upto 2000 tonnes Dead Weight Tonnage (approximate size 86 metres overall length, 14 metres moulded breadth and 2.5 metres loaded draft) or one tug and two barges combination of 4000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 210 metres overall length, 14 metres moulded breadth and 2.5metre loaded draft).
- (vii) Class VII waterway shall be used for plying self-propelled vessel of carrying capacity upto 2000 tonnes Dead Weight Tonnage and above (approximate size 86 metres overall length, 14 metres moulded breadth and 2.5 metres loaded draft with higher dimensions) or one tug and four barges combination of 8000 tonnes Dead Weight Tonnage and above (approximate size 210 metres overall length, 28 metres moulded breadth and 2.5 metres loaded draft or with higher dimensions).

5. The classification of the Inland Waterways shall be governed by the following factors,-

- i. minimum depth of channel shall normally be available for about 330 days of the year; and
- ii. vertical clearance at cross structure over the waterways shall be available at least in centre at 75 percent. Portion of each of the spans in entire width of the waterway.

Explanation.- The vertical clearance in different type of channels are governed by the following -

- (i)(a) for rivers, over Navigational High Flood Level (NHFL), which is the highest flood level at a frequency of five percent, in any year over a period of last twenty years;
- (b) for tidal canals, over the highest high water level;
- (c) for other canals, over the designed full supply level.
- (ii) 'If the river hydro morphological features has not changed substantially for a long period (not less than 5 years) in tidal rivers, manmade canals, creeks, the requisite navigational clearance may be provided only in the span where navigational channel remains stable'.
- (iii) 'In case of construction of a bridge or structure adjacent to the nearby existing structure, 'In general, the horizontal clearance of existing structure may be adopted where the existing structure is 100 meter from the nearby proposed structure in the spans not on navigation channel. The span of newly proposed bridge or stretches over the navigation channel shall be as per the standard National Waterways (NW) classification customizing to site requirement on the advice of Inland Waterways Authority of India (IWAI)'.

6. All the new structures to be constructed across the national waterways classified under these regulations shall conform to the respective criteria of horizontal and vertical clearances of the appropriate class of waterway as provided.

- i. Before starting construction of any structure in or across a national waterway, the concerned agency or organisation shall obtain clearance from the Authority by applying online in Inland Waterways Authority of India (IWAI) portal at the following link:https://ntcl.ncog.gov.in/NOC_Structure/login.
- ii. If no communication in this respect is received from the Authority, within forty five days from the date of receipt of the Form by the Authority, the agency or organisation may proceed with the construction of the structure.

COL. HARSH VARDHAN, Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./479/2022-23]